

LTC Cash Vouchers Scheme:

बिन्दुवार सम्पूर्ण जानकारी



केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी एवं लीव इनकैशमेंट के बदले विशेष कैश पैकेज - जानिए क्या है विशेष कैश पैकेज - बिन्दुवार सम्पूर्ण जानकारी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को त्योहारी सीजन प्रारंभ होने से पूर्व कई आर्थिक प्रबंधों की घोषणा की गयी जिसमें सबसे प्रमुखता से केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी एवं लीव इनकैशमेंट के बदले विशेष कैश पैकेज की घोषणा की चर्चा हो रही है। इस पैकेज की संपूर्ण शर्तों को बताते हुए संबंधित विभाग व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को ही एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है।

कोविड-19 महामारी को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण परिवहन एवं होटल आदि व्यवसाय में व्यवधान के चलते एलटीसी नहीं ले सकने की मजबूरी तथा सामाजिक दूरी को बनाए रखने का हवाला देते हुए विशेष पैकेज लाने की बात इस कार्यालय ज्ञापन में कही गयी है। इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सरकार का मानना है कि इससे केन्द्रीय कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति होगी एवं उपभोक्ता बाजार में खरीद में उछाल आयेगा। इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एलटीसी के बदले विशेष कैश पैकेज सभी शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. वर्तमान ब्लॉक वर्ष 2018-21 के लिए यह पैकेज लागू होगा। इस ब्लॉक वर्ष में किसी एक एल.टी.सी. यानि होमटाउन या किसी स्थान के बदले इस पैकेज का लाभ ले सकते हैं।
2. कर्मचारियों को एलटीसी पर वास्तविक खर्च के बदले ज्यादा खर्च करना होगा।
3. इस पैकेज के लिए कर्मचारियों को विकल्प देना होगा।
4. लीव इनकैशमेंट के बदले पूर्ण राशि दी जाएगी बशर्ते कि लीव इनकैशमेंट के बराबर राशि खर्च की जाए।
5. लीव इनकैशमेंट राशि की गणना कर्मचारी के लिए उपलब्ध एलटीसी पर लीव इनकैशमेंट की संख्या से की जाएगी।
6. इस कैश पैकेज के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए राउंड ट्रिप एलटीसी मानित भाड़ा यानि डीमंड फेयर निर्धारित किया गया है।
7. जो कर्मचारी बिजनेस वर्ग के हवाई भाड़ा के हकदार हैं उनके लिए एलटीसी पर प्रतिव्यक्ति राउंड ट्रिप के लिए डीमंड फेयर 36 हजार रुपये होगा।
8. जो कर्मचारी इकाॅनामी वर्ग के हवाई भाड़ा के हकदार हैं उनके लिए एलटीसी पर प्रतिव्यक्ति राउंड ट्रिप के लिए डीमंड फेयर 20 हजार रुपये होगा।
9. जो कर्मचारी किसी भी वर्ग के रेल भाड़ा के हकदार हैं उनके लिए एलटीसी पर प्रतिव्यक्ति राउंड ट्रिप के लिए डीमंड फेयर 6 हजार रुपये होगा।

10. एलटीसी डीमड फेयर की राशि का तीन गुणा खर्च करने पर एलटीसी डीमड फेयर की राशि दी जाएगी।
11. लीव इनकैशमेंट एवं एलटीसी डीमड फेयर तभी दिया जाएगा जब लीव इनकैशमेंट की राशि के बराबर एवं एलटीसी डीमड फेयर के 3 गुणा राशि उन वस्तुओं/सेवाओं पर खर्च की जाए जिसपर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से कम न हो।
12. इस पैकेज की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत की गयी राशि के वाउचर पर जीएसटी संख्या और जीएसटी की देय राशि अंकित होना चाहिये।
13. पैकेज के तहत देय अधिकतम राशि = एलटीसी पर देय लीव इनकैशमेंट + देय डीमड एलटीसी फेयर
14. इस पैकेज के तहत दिये जाने वाले डीमड एलटीसी फेयर पूर्व के अनुसार ही कोई आयकर नहीं लगेगा क्योंकि एलटीसी फेयर पर पहले से ही आयकर छूट उपलब्ध है।
15. डीमड एलटीसी फेयर के भुगतान पर किसी टीडीएस की कटौती नहीं करने के आदेश दिये गये हैं, इसके लिए आयकर के प्रावधानों में बाद में संशोधन किया जाएगा।
16. इस पैकेज के अंतर्गत मिलने वाले लीव इनकैशमेंट की राशि पर टीडीएस की कटौती की जा सकती है।
17. इस पैकेज का लाभ लेने के लिए लीव इनकैशमेंट और डीमड एलटीसी फेयर दोनों सुविधा का उपभोग करना अनिवार्य होगा।
18. कार्यालय जापन जारी होने के बाद वस्तु/सेवाओं पर खर्च किए गये राशि की रसीद/इनवाँइस/वाउचर के प्राप्त करने के उपरांत विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा।
19. इस पैकेज के लिए कर्मचारियों को एडवांस/अग्रिम भी दिया जाएगा।
20. लीव इनकैशमेंट की राशि का शत प्रतिशत तथा डीमड एलटीसी फेयर के मूल्य का 50 प्रतिशत की राशि का भुगतान एडवांस/अग्रिम की राशि दी जा सकती है।
21. इस पैकेज के लिए सभी दावों/क्लेम चाहे एडवांस सहित हो या नहीं हो, वर्तमान वित्त वर्ष में ही सेटल करने के आदेश हैं।
22. एडवांस/अग्रिम की राशि नहीं खर्च या कम खर्च करने की स्थिति में पूर्ण/बकाया अग्रिम की राशि की वसूली दण्डात्मक ब्याज की राशि के साथ किया जाएगा।
23. यह पैकेज कार्यालय जापन जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा।

मामले जो इस कार्यालय जापन से स्पष्ट नहीं हो रहे हैं:

1. नवजात इनफैंट एयर फेयर के लिए एलटीसी डीमड फेयर कितना होगा?
2. 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रेल किराया के बदले एलटीसी डीमड फेयर कितना होगा?
3. जिन बच्चों के लिए रेल फेयर लागू नहीं है तो क्या उनके लिए वस्तु/सेवा की खरीद के बदले पैकेज का भुगतान होगा?
4. वस्तु/सेवा की खरीद अगर वित्तीय कर्ज लेकर किया जाए तो डाउन पेमेंट की राशि का भुगतान किया जा सकेगा या नहीं?

आशा है कि मंत्रालय स्पष्टीकरण जारी करे। इसके लिए www.staffnews.in से जुड़े रहें।